बाढ़ से प्रभावित राज्य

496. श्री चतुरानन मिश्र :
श्री एन. गिरि प्रसाद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान बाढ़ से प्रभावित हुए राज्यों के नाम क्या-क्या हैं और प्रत्येक राज्य में कितनी-कितनी हानि हुई है ;

(ख) सांविधिक "आपदा राहत निधि" (सी.आर.एफ.) से राज्य सरकारों को स्वीकृत की गई और वितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने चालू वर्ष के दौरान राहत और पुन: स्थापना कार्य के लिए "आपदा राहत निधि" से दी गई सहायता के अलावा विशेष राहत धनराशि देने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी किसी राहत राशि की मंजूरी दी गई है, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :(क) से (घ) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार दक्षिण-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी मानसून, 1994 के दौरान भारी वर्षा तथा बाढ़ से 19 राज्य प्रभावित हुए थे। मौजूदा स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारें वार्षिक आपदा राहत कोष की राशि का उपयोग करके राहत तथा पुनर्वास कार्य करती हैं। राहत कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु 11 राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए थे।

मृतकों की संख्या, संपत्ति के नुकसान तथा मांगी गई केन्द्रीय सहायता और 1994–95 के दौरान आपदा राहत कोष से निर्मुक्त केन्द्रीय हिस्से का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1994 के दौरान भारी वर्षा/बाढ़ के कारण हुए नुकसान, मांगी गई केन्द्रीय सहायता तथा आपदा राहत कोष से निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता हिस्से का ब्यौरा

(अनन्तिम)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मृतकों की सं०	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख है०)	क्षतिग्रस्त मकान/ झोपड़ियां	मांगी गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु०)	1994–95 के दौरान आपदा राहत कोष से निर्मुक्त केन्द्रीय हिस्सा (करोड़ रु०)
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	162	3.87	53,890	—	49.27
2	अरूणाचल प्रदेश	18	0.01	14	74.00	1.5
3	असम	03	0.09	700	—	16.8
4	बिहार	83	3.31	28.073	—	6.5
5	दिल्ली	04	—	07	—	—

1	2	3	4	5	6	7
6	गोवा	05	—	—	2.50	0.
7	गुजरात	345	10.50	2,71,324	303.00	63.7
8	हरियाणा	12	0.18	2,495	—	3.19
9	हिमाचल प्रदेश	179	4.76	7,637	399.00	6.75
10	जम्मू एवं कश्मीर	58	—	3,788	—	6.75
11	कर्नाटक	103	1.57	44,347	190.00	10.12
12	केरल	179	1.98	86,598	100.00	23.25
13	मध्य प्रदेश	288	3.77	2,44,700	200.00	27.75
14	महाराष्ट्र	303	3.22	1,45,647	715.00	—
15	उड़ीसा	88	4.65	10,738	376.00	29.78
16	पंजाब	41	0.62	958	—	5.25
17	राजस्थान	36	1.00	8,809	—	69.75
18	तमिलनाडु	69	0.02	46,180	221.00	14.62
19	उत्तर प्रदेश	317	5.98	65,816	281.00	26.64

कृषि क्षेत्र में बिजली और पानी शुल्क में वृद्धि

497. **श्री चतुरानन मिश्र :**
श्री एन. गिरि प्रसाद :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने केन्द्रीय सरकार से कृषि क्षेत्र में बिजली और पानी के शुल्क को बढ़ाने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या-है और सरकार की उस पर क्या प्रति क्रिया है

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तथा (ख) जी, हां विश्व बैंक समय-समय पर यह सुझाव देता रहा है कि बिजली तथा पानी के शुल्कों को तर्कसंगत बनाया जाए और कृषि के उपयोग हेतु बिजली का शुल्क न्यूनतम 50 पैसे प्रति के डब्ल्यू एच. किया जाए। बिजली तथा पानी के शुल्क के बारे में निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिए जाते हैं। अब तक सोलह राज्यों और दो संघ शासित क्षेत्रों ने कृषि के उपयोग हेतु बिजली के शुल्क इस दर पर निर्धारित करने पर सहमति प्रकट की है।

बटर आयल का आयात

498. **श्रीमती कमला सिन्हा :**
डा. बापू कालदाते :
कुमारी सरोज खापर्डे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार देश में बटर आयल की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के माध्यम से उसका आयात करने का विचार रखती है अथवा इनका आयात किया है ;

(ख) यदि हां, तो बटर आयल की मांग आरंभ आपूर्ति के बीच 1994 के प्रारंभ में और अगस्त, 1994 के अन्त में कितना अन्तर था ;

(ग) कितनी मात्रा में बटर आयल का आयात किया गया है और किस मूल्य पर इसका आयात किया गया है; और

(घ) बटर आयल के घरेलू मूल्यों पर इसका कुल प्रभाव क्या पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) राष्ट्रीय डरी विकास बोर्ड को देश में बटर आयल के आयात की अनुमति दी गई है।